सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **63/2018** दायर दिनाँक **13.03..2018**

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. सलीम पुत्र दौला, उम्र–43साल, जाति–भाट, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. ईसूब पुत्र कायमा, उम्र–50साल,<br>2. अयूब पुत्र कायमा, उम्र–45साल,<br>3. बिबलू उर्फ जमील पुत्र कायमा, उम्र–41साल,<br>4. सतार पुत्र दौला, उम्र–30साल,<br>5. आलम पुत्र दौला, उम्र–37साल,<br>6. गफार उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र पुत्र दौला, उम्र–34साल,<br>7. चूंकी पत्नी दौला, उम्र–80साल,<br>8. जरीना पत्नी सदीक, उम्र–50साल,<br>9. उस्मान पुत्र सदीक, उम्र–30साल,<br>10. आरिफ पुत्र सदीक, उम्र–28साल, समस्त,जाति–भाट, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,<br>11. बुली पत्नी जमील पुत्री सदीक, उम्र–34साल,<br>12. माफिया पत्नी रजबअली पुत्री सदीक, उम्र–32साल, समस्त,जाति–भाट, निवासी–खारिया घिरड़ोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,<br>13. ईब्राहिम मोहम्मद पुत्र गनी, उम्र–65साल,<br>14. सफी मोहम्मद पुत्र गनी, उम्र–55साल, समस्त,जाति–भाट, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,<br>15. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। |

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री लालसिंह गोदारा, वकील, वादी।
2. श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 09.04.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद थाणू में खसरा नम्बर 244 रकबा 28 बीघा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 तथा 08 से 12 तक पिता/पति स्वर्गीय सदीक व स्वर्गीय रूस्तम की खातेदारी का स्थित है परन्तु इस खेत पर पुराने समय से प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 या इनके पूर्वज काबिज चले आ रहे हैं। नकल पेश है।

शरहद थाणू खसरा नम्बर 283 रकबा 39.14 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 की खातेदारी का स्थित है परन्तु इस खेत पर पुराने समय से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 तथा 08 से 12 के पिता/स्वर्गीय सदीक या इनके पूर्वज काबिज चले आ रहे हैं। नकल पेश है।

शरहद थाणू में खेत खसरा नम्बर 244 रकबा 28 बीघा पर प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 या इनके पूर्वज का तथा खसरा नम्बर 283 रकबा 39.14 पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 स्वयं तथा 08 से 12 तक या इनके पूर्वज काबिज चले आ रहे है। पक्षकारान् को राजस्व रिकॉर्ड के बारे में जानकारी नहीं थी तथा राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत उपर्युक्त प्रकार से पक्षकारान् काबिज है तथा एक दूसरे के एडवर्स पजेशन की स्थिति में है।

उपर्युक्त खातेदारी की वादी को नकलें लेने पर होने पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 को उक्त इन्द्राज दुरस्ती हेतु निवेदन किया गया व उनके द्वारा मना करने पर यह वाद पेश है।

उपर्युक्त खसरा नम्बर 244 रकबा 28 बीघा शरहद थाणू की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 के 1/2 – 1/2 का कब्जाकाश्त है। व खसरा नम्बर 283 रकबा 39.14 बीघा शरहद थाणू में से रकबा 09.10 बीघा में वादी सलीम का व रकबा 04.10 में प्रतिवादी संख्या 03, 04, 05 व 06 प्रत्येक का कब्जाकाश्त है व रकबा 02.04 बीघा में प्रतिवादी संख्या 02 का कब्जाकाश्त है व रकबा 09.10 बीघा में सदीक के वारिशान् प्रतिवादीगण संख्या 08, 09 व 10 का कब्जाकाश्त है। उक्त कब्जाकाश्त अनुसार घोषणा खातेदारी हेतु वाद पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 01, 07, 11 व 12 का कब्जाकाश्त नहीं होने से इनका नाम हटाने हेतु वाद पेश है।

वाद हेतुक बहक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 विरूद्ध वादग्रस्त भूमियों में काबिज चले आ रहे होने की जानकारी होने के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बाद वादी द्वारा किये गये दुरस्ती हेतु निवेदन को प्रतिवादीगण द्वारा न मानने से उत्पन्न हुआ है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद थाणू में खसरा नम्बर 244 रकबा 28.00 बीघा में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 तथा 08 से 12 के पिता/पति स्वर्गीय सदीक का नाम हटाया जावे व इस खेत की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 के घोषित की जावे।

शरहद थाणू में खसरा नम्बर 283 रकबा 39.14 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 का नाम हटाया जावे तथा इस खेत में से, रकबा 09.10 बीघा का वादी सलीम को व रकबा 04.10 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 03, 04, 05 व 06 प्रत्येक को व रकबा 02.04 बीघा का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 10 बीघा 08, 09 व 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण संख्या 01, 07, 11 व 12 का नाम हटाया जावे।

स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी व विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषित की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 15 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 ने वाद अपना इकबालिया जवाब पेश कर दिया है व दावा मुताबिक डिक्री चाहते हैं।

वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम थाणू, पटवार क्षेत्र सूपका भू–अभिलेख क्षेत्र दयालपुरा तहसील डीडवाना के खेवट संख्या 16/13, 15 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम थाणू, पटवार क्षेत्र सूपका भू–अभिलेख क्षेत्र दयालपुरा तहसील डीडवाना के खेवट संख्या 185/153 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वाद में इकबालिया जवाब पेश हो चुका है। वकुलाय पक्षकारान् दावानुसार/इकाबालिया जवाबानुसार दावा डिक्री हेतु निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में इकबालिया जवाब पेश हो चुका है व वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। दावा/इकबालिया जवाब के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 63/2018
दायर दिनाँक 13.03.2018, निर्णय दिनाँक 09.04.2018
सलीम बनाम् ईसूब, वगैरा।

## आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद **थाणू** के निम्नलिखित खसरान् की भूमियों में वर्तमान में दर्ज खातेदारी के स्थान पर निम्नलिखित अनुसार खातेदारी घोषित की जाती हैः–

1. **खसरा नम्बर 244 रकबा 28.00 बीघा का,** प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. **खसरा नम्बर 283 रकबा 39.14 बीघा में से**, रकबा 09.10 बीघा का वादी को स्वतन्त्र खातेदार व रकबा 04.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार व रकबा 04.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 04 को स्वतन्त्र खातेदार व रकबा 04.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 05 को स्वतन्त्र खातेदार एवं रकबा 04.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 06 को स्वतन्त्र खातेदार व रकबा 02.04 बीघा का प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार तथा रकबा 10.00 बीघा का 08, 09 एवं 10 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे। डिक्री जावे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **09.04.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **63/2018** दायर दिनॉक **13.03..2018**

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| **1.** सलीम पुत्र दौला,<br>उम्र–43साल, जाति–भाट,<br>निवासी–थाणू,<br>तहसील–डीडवाना,<br>जिला–नागौर, राजस्थान। | **बनाम्** | **1.** ईसूब पुत्र कायमा,<br>उम्र–50साल,<br>**2.** अयूब पुत्र कायमा,<br>उम्र–45साल,<br>**3.** विबलू उर्फ जमील पुत्र<br>कायमा, उम्र–41साल,<br>**4.** सतार पुत्र दौला,<br>उम्र–30साल,<br>**5.** आलम पुत्र दौला,<br>उम्र–37साल,<br>**6.** गफार उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र<br>पुत्र दौला, उम्र–34साल,<br>**7.** चूंकी पत्नी दौला,<br>उम्र–80साल,<br>**8.** जरीना पत्नी सदीक,<br>उम्र–50साल,<br>**9.** उस्मान पुत्र सदीक,<br>उम्र–30साल,<br>**10.** आरिफ पुत्र सदीक,<br>उम्र–28साल,<br>समस्त,जाति–भाट,<br>निवासी–थाणू,<br>तहसील–डीडवाना,<br>जिला–नागौर, राजस्थान,<br>**11.** बुली पत्नी जमील पुत्री<br>सदीक, उम्र–34साल,<br>**12.** माफिया पत्नी रजबअली पुत्री<br>सदीक, उम्र–32साल,<br>समस्त,जाति–भाट,<br>निवासी–खारिया घिरड़ोदा,<br>तहसील–डीडवाना,<br>जिला–नागौर, राजस्थान,<br>**13.** ईब्राहिम मोहम्मद पुत्र गनी,<br>उम्र–65साल,<br>**14.** सफी मोहम्मद पुत्र गनी,<br>उम्र–55साल,<br>समस्त,जाति–भाट,<br>निवासी–थाणू,<br>तहसील–डीडवाना,<br>जिला–नागौर, राजस्थान,<br>**15.** तहसीलदार डीडवाना,<br>जिला–नागौर, राजस्थान। |

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,**
**अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.**

दिनाँक **09.04.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री लालसिंह गोदारा, वकील, वादी व श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद **थाणू** के निम्नलिखित खसरान् की भूमियों में वर्तमान में दर्ज खातेदारी के स्थान पर निम्नलिखित अनुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. **खसरा नम्बर 244 रकबा 28.00 बीघा का,** प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. **खसरा नम्बर 283 रकबा 39.14 बीघा में से,** रकबा 09.10 बीघा का वादी को स्वतन्त्र खातेदार व रकबा 04.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार व रकबा 04.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 04 को स्वतन्त्र खातेदार व रकबा 04.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 05 को स्वतन्त्र खातेदार एवं रकबा 04.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 06 को स्वतन्त्र खातेदार व रकबा 02.04 बीघा का प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार तथा रकबा 10.00 बीघा का 08, 09 एवं 10 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे। डिक्री जावे।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ..........–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **09.04.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

| मुददई | रुपया | पैसे | मुदायलह | रुपया | पैसे |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प<br>वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह<br>सबूत<br>महनताना<br>वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | <br><br><br>—<br>— | | स्टाम्प<br>वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner